न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा नम्बर 78/2025 दायर दिनांक–20.03.2025

1. विक्रम सिंह पुत्र जमन सिंह
2. अजय सिंह पुत्र भींव सिंह
3. करणी सिंह पुत्र भींव सिंह
4. उच्छव कंवर पत्नी भींव सिंह
5. मंजू कंवर पुत्री भींव सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. प्रभाती पुत्री पन्नाराम जाति जाट निवासी डूडी नगर तन भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विप्लव पंडित
वकील प्रतिवादी :– श्री विकास सैनी

दावा बाबत : दुरूस्ती रिकॉर्ड व घोषणा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–13.05.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 683, 684, 685, 686, 689, 757 रकबा क्रमशः 0.29, 1.11, 1.13, 1.10, 1.35, 1.44 कुल किता 6 कुल रकबा 6.42 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से मृत पन्नाराम व श्योकोरी का नाम हटाया जाकर इनके नाम से दर्ज 73/214 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे अर्थात वादी सं0 1 को 73/428 हिस्से का, वादी संख्या 2 लगायत 5 प्रत्येक को 73/1712/73/1712 हिस्से का खातेदार काश्तकार घेाषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1की ओर से वकील श्री विकास सैनी ने वकालतनामा मय इकबालिया जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2075–78, नकल मिलान क्षैत्रफल, असल विक्रय पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वजों द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज से भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है जिसका नामांतरण वादीगण के पूर्वज के नाम से दर्ज नही हुआ है। अतः उक्त भूमि से मृतक पन्नाराम व श्योकोरी का नाम हजफ किया जाकर उसके हिस्से की भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:43 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम जाखल [illegible] सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 683, 684, 685, 686, 689, 757 रकबा क्रमशः 0.29, [illegible] 1.35, 1.44 कुल किता 6 कुल रकबा 6.42 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से मृतक पन्नाराम व श्योकोरी [illegible] हजफ किया जाकर उनके हिस्से की भूमि का वादी सं0 1 को 73/428 हिस्से का, वादी संख्या 2 लगायत 5 प्रत्येक को 73/1712–73/1712 हिस्से का खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 13.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:43 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 78/2025 **(विक्रम सिंह बनाम प्रभाती आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.05.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 683, 684, 685, 686, 689, 757 रकबा क्रमशः 0.29, 1.11, 1.13, 1.10, 1.35, 1.44 कुल किता 6 कुल रकबा 6.42 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से मृतक पन्नाराम व श्योकोरी का नाम हजफ किया जाकर उनके हिस्से की भूमि का वादी सं0 1 को 73/428 हिस्से का, वादी संख्या 2 लगायत 5 प्रत्येक को 73/1712–73/1712 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को इस आश्य की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.05.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:43 IST
Reason: SelfAttested